न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–110/18(आरसीएमएस नं. 2018/00075)

1. शंकरलाल पुत्र सुगनाराम उम्र 30 वर्ष, जाति जाट, निवासी मूण्डवाडा पुलिस थाना सदर जिला सीकर राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला मजिस्ट्रेट, सीकर जिला सीकर राजस्थान।

—— रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 30.10.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के आदेश दिनांक 13.03.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि जिला पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर में अपीलान्ट के विरूद्ध चार प्रकरण दर्ज होना बताया है जबकि संलग्न दस्तावेजात में उक्त प्रकरण का पुलिस थाना सदर सीकर से सम्बन्धित होना बताया है, पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर में अपीलार्थी के विरूद्ध कभी कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ था, इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक सीकर से कोई स्पष्टीकरण तलब नही किया तथा जो चार प्रकरण पुलिस थाना सदर सीकर से सम्बन्धित बताये गये है उनका निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ही हो चुका है था इस सम्बन्ध में परिवादी की ओर से काई रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश नही की गई ऐसी स्थिति में अपीलार्थी विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 मके तहत कार्यवाही किये जाने के कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना न्यायिक विवेक का प्रयोग किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि की दृष्टि से स्थिर रहने योग्य नही होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) के स्पष्टकरण के अनुसार अभ्यस्त से अभिप्रायः उस व्यक्ति से है जिसके विरूद्ध धारा 3 के अधीन कार्यवाही किये जाने से ठीक 6 माह पूर्ण की अवधि के दौरान उपखण्ड 1, 5, 7 एवं 8 से सम्बन्धित अपराधों को कम से कम तीन अवसरों पर करता हुआ पाया जावें अधीनस्थ न्यायालय में परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद दिनांक 24.04.2014 को संस्थित किया गया था, दिनांक 24.04.2014 से 6 माह पूर्व अर्थात 24.11.2013 से 24.04.2014 के मध्य अपीलार्थी के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज होने की साक्ष्य पत्रावली पर पेश नही की गई, परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रारम्भः ही विधि

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

द्वारा पोषणीय नही था ऐसे परिवाद पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना न्यायिक विवेक प्रयोग अपीलाधीन आदेश पारित करने में गंभीर विधिक भूल की है, इसलिये अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि एफ.आई.आर. संख्या 285/2010 पुलिस थाना सदर सीकर धारा 283 आईपीसी में आज तक सम्बन्धित न्यायालय में नतीजा पेश नही किया गया है, एफ.आई.आर. संख्या 300/2010 पुलिस थाना सदर मुकदमा संख्या 304/2011 प्रकरण सरकार बनाम नाथूसिंह सिंह आदि में दिनांक 01.04.2013 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीकर द्वारा अपीलार्थी को दोषमुक्त किया गया है, एफ. आई.आर. संख्या 95/2011 पुलिस थाना सदर सीकर धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दिनांक 28.07.2011 को चालान प्रस्तुत के दिन अपीलार्थी को परिविक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया गया था, परिविक्षा की अवधि भी परिवाद संस्थित करने से पूर्व पूर्ण हो चुकी है। उन्होने आगे कथन किया है एफ.आई.आर. संख्या 262/2011 पुलिस थाना सदर सीकर में चार्जशीट संख्या 249/2011 जो अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुई है, उसमें अपीलार्थी को अपराध में शरीफ होना नही पाया गया है, उपरोक्त प्रकरणों का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय ने परिवाद संस्थित होने से पूर्व ही हो चुका था तथा परिवाद संस्थित किये जाने की दिनांक 24.04.2014 एवं निर्णय दिनांकित 13.03.2018 के दिन अपीलार्थी के विरूद्ध बताये गये प्रकरणों में से कोई प्रकरण लम्बित नही था इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में प्रकरणों का विचाराधीन होना अपने निर्णय में बिना किसी आधार के लिखकर बिना न्यायिक विवेक का प्रयोग किये अपीलाधीन निर्णय पारित करने में गंभीर विधिक भूल की है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश दिनांकित 13.03.2018 का है, अपीलान्ट के अधिवक्ता नरेश कुमार पारीक बहस के समय उपस्थित नही हुये थे उनकी आदेश में अनुपस्थिति अंकित की हुई है, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 13.03.2018 की कोई जानकारी नही दी थी, अपीलान्ट अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था, दिनांक 27.03.2018 को जब घर आया तो घरवालों ने बताया कि अखबार में तेरे नाम की खबर छपी है, तब दिनांक 28.03.2018 को सीकर आकर आदेश दिनांकित 13.03.2018 की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया जिस पर प्रतिलिपि दिनांक 03.04.2018 को प्राप्त हुई है, आदेश दिनांकित 13.03.2018 से दिनांक 27.03.2018 का समय जानकारी के अभाव में हुआ तथा दिनांक 28.03.2018 से 03.04.2018 तक का समय प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगा है जिसको न्यायहित मे क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद सुनवाई हेतु ग्रहण किया जाना न्यायोचित एवं सादर प्रार्थनीय है जिसके लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के विरूद्ध इस्तगासा की कार्यवाही ड्रोप किये जाने के कृपापूर्ण आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रसतुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन कियाा तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट के विरूद्ध 2 वर्ष की अवधि में मारपीट, अपहरण, डकैती व अवैध शराब की तस्करी कुल 4 अभियोग पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश होने की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक सीकर के आधार पर अपीलान्ट राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 02 (आ) में वर्णित दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त (प्रयास करता है, करने के लिऐ प्रेरित भी करता है) साबित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.04.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.04.2016 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।